

प्रभु,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद, बाँदा, कानपुर देहात, महोबा, फतेहपुर, अलीगढ़, सीतापुर, हमीरपुर, आगरा, इटावा,
गाजीपुर एवं जालौन

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये प्रथमतः दो हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु0 5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड़ मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	Total demand	स्वीकृत धनराशि रु0 में
1	फिरोजाबाद	8090863	2000000
2	बाँदा	36391100	3500000
3	कानपुर देहात	21919500	3000000
4	महोबा	46386000	3500000
5	फतेहपुर	371442600	10000000
6	अलीगढ़	36274500	4000000
7	हमीरपुर	83734684	5000000
8	आगरा	12055500	3500000
9	इटावा	25067934	3500000
10	गाजीपुर	2349789	2000000
11	जालौन	395766232	10000000
	Total		50000000

- 2- दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शांति, प्राथमिकता के दृष्टिकोण से स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/वस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सही मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे किसान/लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से धुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।
- 5- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दर निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।
- 6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- 8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।
- 10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- 11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

2- व्यय की वर्ग धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मंड में पुस्तिका बनाई जाए और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

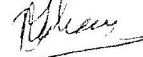
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- (1)/1-10-2016, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडि प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त को शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

अनु सचिव ।

Print Report
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-28/03/2016

प्रेषण संख्या:- 67
आवंटन आदेश संख्या:- 067-1-10-2015
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वितीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
03 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 14250000	4000000 14250000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 67745000	3500000 67745000
3	इटवा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 127879000	3500000 127879000
4	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 150540000	10000000 150540000
5	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 333000000	10000000 333000000
6	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 294700000	5000000 294700000
7	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 374500000	3500000 374500000
8	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 19650000	2000000 19650000
9	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 263050000	3000000 263050000
10	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 23241000	2000000 23241000
11	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 372125000	3500000 372125000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 2040680000	50000000 2040680000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया पाँच करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया दो अरब चार करोड़ छः लाख अस्सी हजार

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन